मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2024-25 / 948 दिनांक : 03/07/2024

आदेश

M/s Sai Parenterals Ltd. (Formerly Known As Sai Parenterals Pvt Ltd), D1 & D4, Phase V, IDA, Jeedimetla, Hydarabad–500055 T.S, India से निविदा क्रमांक F.02(352) /RMSCL /PROCUREMENT /DRUG / NIB-09 /2022/1234 दिनांक 30.04.2022 के तहत् औषधि Heparin Sodium Inj IP 5000 IU/ml (IM/IV Use)[174] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक – 2251 दिनांक 15.07.2022 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को National Institute of Biologicals Noida द्वारा जाँच कराये जाने पर औषधि का बैच (22HE16) Identification –A , Antifactor IIa activity, Assay Antifactor Xa activity में अमानक कोटि का पाया गया।

औषधि के उक्त बैच का वैधानिक नमूना औषधि नियंत्रण अधिकारी राजस्थान द्वारा लिया जाकर Testing हेतु Central Drug Laboratory, Kolkata में भिजवाया गया। Central Drug Laboratory, Kolkata से औषधि के बैच (22HE16)की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 22.05.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। Central Drug Laboratory, Kolkata ने औषधि के बैच (22HE16) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Sai Parenterals Ltd. (Formerly Known As Sai Parenterals Pvt Ltd), D1 & D4, Phase V, IDA, Jeedimetla, Hydarabad-500055 T.S, की औषधि Heparin Sodium Inj IP 5000 IU/ml (IM/IV Use)[174] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश / क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहा गिरि
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
8462543

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.07.02 16:50:34 IST
Reason: Approved

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2024-25 / ९५8 दिनांक : 03/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक,पी.एच / आर.सी.एच. / एच.ए / ए.आई.डी.एस. / एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान / तेलंगाना।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट) / वित्त / एल / ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Sai Parenterals Ltd. (Formerly Known As Sai Parenterals Pvt Ltd), D1 & D4, Phase V, IDA, Jeedimetla, Hydarabad-500055 T.S
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
8462543

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.07.02 16:50:34 IST
Reason: Approved